The prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005; and

The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Bill, 2005

Consideration and Passing of the following Bills:—

The Criminal Law (Amendment) Bill, 2003

The Chartered Accountants (Amendment) Bill, 2005;

The Cost and Works Accountants (Amendment) Bill, 2005; and

The Company Secretaries (Amendment) Bill, 2005;

Consideration and return of the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2005 after it has been passed by Lok Sabha.

Consideration and return of the Appropriation Bills relating to following Demands, after they have been passed by Lok Sabha:—

Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2005-06; and

Supplementary Demands for Grants (General) (Second) for 2005-06.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Request for constituting a Joint Parliamentary Committee to probe into the matters arising out of the Volcker Committee Report

विपक्ष के नेता (श्री जसवन्त सिंह) : माननीय उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य: मैंने भी नोटिस दिया था।

श्री उपसभापति: जी हां, आपका नोटिस है, आपको भी बोलने का मौका देंगे।

श्री जसवन्त सिंह: जनाब नायब सदर साहब, मुझे आपसे और आपके ज़रिए इस हाउस से भी यह गुज़ारिश करनी है कि अभी पीछे, जबसे यह सत्र आरम्भ हुआ, तक़रीबन हर रोज़ एक या दूसरे विषय को लेकर सदन काफी उद्वेलित रहा है। विशेषकर युनाइटेड नेशन्स की वोल्कर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद कुछ वाक़ये शुरू हुए तो स्वाभाविक था कि यह सदन और दूसरा सदन उस मसले को देखे और अपनी बात रखे। उसमें रोज़ जो कुछ देखने को आ रहा है और जैसी

घटनाएं घट रही हैं तथा पिछले 10-15 दिनों में हमने जो अनुभव किया, उस आधार पर हम बड़े ही आदर के साथ आपको एंव सरकार को एक सुझाव देना चाहेंगे। मेरा निवेदन यही है कि सरकार उस पर जो भी प्रतिक्रिया दे, गंभीरता से विचार करके ही दे।

मैं सोचता हूं, जैसे यदि हम कल ही का उदाहरण लें, उसमें तीन ऐसे वाक्ये हुए, जिसे लेकर हर एक ने यह जरूरी समझा कि मैं अपनी टिप्पणी करूं। अभी कल तक तो क्रोएशिया में हमारे सफीर साहब थे, उन्होंने कुछ बातों का ज़िक्र किया, फिर अगले दिन तक जो सम्माननीय मंत्री थे, उन्होंने भी कुछ कहा, फिर किसी एक पत्रिका में भी कुछ छपा। इनको लेकर स्वाभाविक है कि हमारे सरकारी पक्ष के जो भी लोग हैं, वे अपनी बात कहें।

सरकारी पक्ष के एक प्रवक्ता ने कहा कि जज के रूप में जो श्री पाठक साहब को लगाया गया है, उनके काम-काज का दायरा बढ़ा दिया जाए, तब मंत्री जी ने कहा कि अभी उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसे लेकर बिना वजह हाउस में हर रोज़ किसी न किसी तरह से प्रश्न उठते रहते हैं। कुछ हद तक प्रश्न उठना लाज़मी भी हैं, लेकिन हद से बाहर उठना, मैं सोचता हूं कि फिर हाउस का प्रमुख काम रुक जाता है।

दूसरा, उसका एक पहलू यह भी है कि हर उस मुल्क ने, जिस मुल्क के सामने वोल्कर कमेटी को लेकर सवाल खड़े हुए, उस मुल्क की जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसकी कमेटी बैठाई है, जैसे यूनाइटिड किंग्डम ने हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी बैठाई और उसे इन्वेस्टिगेट किया, सीनेट ऑफ कांग्रेस की कमेटी है, जिसकी कुछ रिपोर्ट भी आई है और जिसका कुछ उल्लेख कल से हो भी रहा था।

मेरा निवेदन यह है कि यह सदन एवं दूसरा सदन गंभीरता से इस पर विचार करे, क्योंकि बिना सदन एवं सरकार की अनुमति से यह नहीं होगा, और इस सारे मसले को एक ज्वॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। पहले आप उसको जैसे चाहें, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बढ़ा दें।

माननीय सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि कुछ अन्य पत्रिकाओं में भी जो बातें छपी हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि होनी चाहिए और आप करिए, जरूर करिए। वह आप व्यर्थ के ...(व्यवधान)

श्री राशिद अल्वी (आन्ध्र प्रदेश): आउटलुक में छपी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to him.

श्री राशिद अल्वी: वे कह रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: देखिए, आप बैठ जाइए, आपको अखबार नहीं दिखाना चाहिए ...(**व्यवधान**) अल्वी साहब, यह एलाउड नहीं है, कृपया अखबार मत बताइए ...(**व्यवधान**) देखिए, इतनी बार बोलने के बावजूद भी आप अखबार बता रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): वे स्वयं ही पत्रिका के संबंध में कह रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: यह तो मैं खुद ही कह रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आउटलुक और आउटलुक के बाद भी अगर कुछ छपे तो ...(**व्यवधान**)

श्री राशिद अल्वी: मैं भी यह बताना चाहता ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: देखिए, जब बात हो रही है तब आप उसे सुनिए, उसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा।

श्री जसवन्त सिंह: जनाब नायब सदर साहब, इसीलिए मैंने कहा कि कल उस अखबार या उस पत्रिका में जो छपा है, अगले हफ्ते कुछ छप जाएगा। हमें यह लग रहा है कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है, इसीलिए मेरी सबसे यह अर्ज है कि रोज़ हम ...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: ये जो कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: जरा सुन लीजिए, आपको भी बालने का मौका दिया जाएगा। बैठ कर बोलने की परम्परा नहीं है, मेहरबानी करके बैठ कर मत बोलिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप चेयर की परमिशन लेकर बोलिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह: एक तो मुझे इसके अतिरिक्त जब हम पाते हैं कि आज तक जस्टिस पाठक को काम करने के लिए कोई दफ्तर नहीं मिला है। यहां दिल्ली में इतनी कमेटियां बैठती हैं और उनका एक नेच्युरल हश्र हो जाता है, जगह नहीं है दिल्ली में। आपने जरूर उनको मुकर्रर कर दिया, उनको नियुक्त कर दिया, उनको काम करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि दयाल साहब अमेरिका जाकर वहां से कागजात इकट्ठा करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हम दयाल साहब को इसलिए नहीं दे सकते He is not the authorised recipient. हम एंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को देंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया था When we have a perfectly able, qualified, a proven permanent representative in the United Nations, I had not understood the rationale of sending yet another officer. However, that is not done. Now, he is going to Jordan, etc. Once you appoint a Joint Parliamentary Committee, a great deal of daily contention that we are

witnessing here will not be there. That has been my experience with the earlier Joint Parliamentary Committees too. The House should be freed from it. If countries, which are democratically functioning, as, we are, through a parliamentary democracy in the United Kingdom, in the United States of America, they have also got a similar problem about the Volcker Committee Report. If they have found it fit to investigate, through a Joint Parliamentary Committee, it is my request to the Government and to the House, there is no reason why we should fight shy of a JPC as we have earlier done it, and in any case you would be in a majority. You should have no apprehension that the Opposition in any exertion be able to ride roughly over your viewpoint. It can't. It has not happened earlier. That is my suggestion to the Government, to the House, and, of course, also to the Chair, and if you were to consider it, I would be grateful. I thought I should mention this to you.

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता एक ऐसे विषय पर जो दोनों सदनों में चर्चा में रहा है और देश के अंदर भी उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भारतवर्ष में और दुनिया के दूसरे कई देशों में उसकी अपनी प्रतिक्रिया हुई, अधिकृत रूप में भी और संसद के अंदर भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर जैसे इसका खुलासा हुआ, सरकार ने कारगर कदम उठाए, जांच प्राधिकरण बनाकर वह भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में। दूसरे, किसी देश के अंदर ऐसे प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ और इस सदन के अंदर जब चर्चा रही और दूसरे सदन में सरकार ने यह आश्वासन दिया कि जो भी अधिकार, जो भी और शक्तियां वे चाहेंगे हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश पाठक जी, वे उनको दी जाएंगी कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। उसके साथ-साथ एक विशेष दूत जो अपने आप जिनका एक नाम रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली से वे परिचित हैं तथा अंडर सैक्रेटरी जनरल वहां वर रह चुके हैं, वे वहां पर गए और कागजात लाए। कागजात लेने के लिए गए, यह सही बात है जो जसवन्त सिंह जी ने कहा कि वह तो जो कोई अधिकृत एजेंसी होती है उसको ही दिया जाता हे। तो वह भी हुआ। तो आज जब जांच चल रही है उस वक्त अगर ऐसी बात कहें तो उससे इसमें रुकावट आती है, दूसरे, पाठक इंक्वायरी प्राधिकरण के प्रति यह उनका अपमान भी होगा। Any such demand at this stage would be tantamount to pre-empt the efforts of the Commission of Inquiry. So much progress has already been made by the enforcement agencies and others visiting those places, which have been mentioned in the Volcker Committee Report.

Already our officials are out of the country. Teams are out. They are

trying to collect more information. और ये सारी बातें मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि किसी भी देश में इतनी प्रगति अभी तक नहीं हुई है। इसको देखते हुए कोई औचित्य नहीं है। There is no justification for this demand of a JPC; and we are all interested in the truth. I agree with the hon. Leader of the Opposition that certain new revelations are coming forth and a few statements are coming out. That does not mean that we should change the track, and do away with the inquiry authority and start another inquiry. The enquiry authority is fully empowered to take cognisance of new revelations, new statements, and I hope that the Government will give us an assurance that, if there is any revelation which is connected with this matter, they would also be looked into by the inquiry authority and all the concerned agencies of the Government would also cooperate.

Lastly, with all respect to the hon. Leader of the Opposition, I will submit one thing. let this issue be thoroughly investigated. Let the nation be informed of the truth which the hon. Prime Minister and this Government, from the day one, have said so. Let this issue not become an issue of partisan politics in the country. We have seen enough of it. When it comes to the JPC, today, I am not saying it to score a point, we must say that in this House, in this Parliament, earlier, when the NDA Government was in power, they stonewalled the demand for a JPC after the Tehelka revelations. Here, we have an inquiry authority which is functioning well and let everybody cooperate with that. Thank you.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, I must concede, at the very outset, that I am little surprised by the submissions of the hon. Leader of the Opposition. In fact, yesterday, when this issue was brought forward, some of us were very agitated. I think, justifiably so, this Session is a very important Session; and there are several issues pertaining to the burning problems of the people of this country, particularly relating to those who are vulnerable, workers, peasants and others. We had floods in the country. We are in the midst of a situation where we have to discuss what would be the India's negotiating position at the WTO and so on and so forth. So, think, we had more than our share of discussion in this House and in the other House on this question of Volcker. This is also a sad state of affairs that we have made ourselves a prisoner to what is being written in the media. Ours is a free country and ours is a very vibrant media and media will keep on investigating on their own steam and we have, as a domocracy, to take into account all those things. But, Sir, I think, the demand for a

JPC, at this stage, actually, is a denial of the principles of natural justice. If you look at the *sub-judice* rule, we have three pillars in our Constitutional scheme where the Judiciary, the Executive and the Legislature act in tandem. We, actually, submit ourselves to this golden rule that a subject, which is being dealt with by a particular organ of the State, is not looked into by any other organ of the State. When we have created an independent judicial inquiry authority, at this stage, the question of JPC, I think, is not proper. The question of JPC could have been disucssed had this House not discussed the issue of judicial inquiry authority and could have accepted that. I can recall, on that occasion, none of the Members of this House or the other House has questioned the integrity or the capacity or the efficiency of Justice Pathak and the kind of inquiry authority that was created. I think, if I am correct, that day itself, the Government, while replying to the debate, had pointed out that all questions, all complaints all new facts which are coming to lights can be referred to the inquiry authority and is omni-potent to go into all the questions. Many of us were actually surprised at the non-mention of certain entities which are non-contractual beneficiaries as a result of the emphasis which was given on the political entities. So far as the other legislatures are concerned, we have a serious problem; we heard that even mention of what the US House has done about indicting other people was sought to be raise in the House. We have a question we are all independent and sovereign legislatures can we take it upon ourselves to comment on individuals who are under the rules of business, under the discipline of different legislatures? For example, it was revealed, with documetary evidence, that the first interem report of the Volcker Committee was discussed by the US Congressional Commitee. And, at the instance of the US Congressional Committee proceedings, certain entities were included from the Volcker Committee's second interim report onwards. Sir, this is a clear-cut infringement, encroachment in the independent functioning of the United Nations itself. We have also seen reports how one of the British MPs, Mr. John Galve, was sought to be indicted by the US Senate Committee, and how he could disprove. And, Mr. John Galve got compensation from The Telegraph, which had published critical remarks. And, the same report, again, at the instance of the Senate Committee, was included. So, I think, the Leader of the Opposition has actually concealed more than he has revealed. He is talking about the US House; he talking about the British House. But what about the other countries that have totally ignored the report of the UN commission?

They have questioned the very credibility of the report of the Volcker Committee. Frankly speaking, this is our complaint with the Government also. The Government, while discussing and taking action, has been proactive on the internal dimension of the report of the Volcker Committee, and has completely glossed over the implications of the international dimensions of the report of the Volcker Committee. I think, Sir, we have established an omnibus inquiry authority. And, it should go into all these aspects, in all its ramifications, and come out with a report. So, at this stage, creation of a JPC would only actually be denial of the priciples of natural justice.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता माननीय जसवन्त सिंह जी ने वोल्कर रिपोर्ट के संबंध में जेपीसी की मांग की है। महोदय, जब से वोल्कर रिपोर्ट की जानकारी मिली हे, सदन में और सदन के बाहर इसकी लगातार चर्चा हो रही है और सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया तथा महसूस किया कि इस संबंध में जांच की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जस्टिस पाठक की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इन्क्वायरी बनाया और वोल्कर रिपोर्ट से संबंधित सभी बातों की जांच करने के लिए कमीशन ऑफ इन्क्वायरी को कहा ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इसके बाद भी सदन में लगातार प्रतिपक्ष की ओर से हल्ला-हंगामा होता रहा, सदन बाधित होता रहा। फिर वोल्कर पर चर्चा हुई। इसके बावजूद भी समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों के माध्यम से कुछ नयी-नयी बातें आ रही हैं। सत्ता पक्ष की ओर से भी और विरोधी पक्ष की ओर से भी एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। माननीय नटवर सिंह के इस्तीफे की बात हुई। उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि उनके इस्तीफा देने के बाद सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए, परमार जी, सब सुन रहे हैं। अच्छी डिबेट हो रही है। ...(व्यवधान).. नहीं... प्लीज, आप मेहरबानी से ...(व्यवधान)... जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे। मेहरबानी से उनको बोलने दीजिए। आपकी बात आप कीजिएगा, उनकी बात वे करेंगे, क्यों टोका-टाकी करते हैं?

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, सदन की कार्यवाही इसलिए चलती है कि देश में जो आम लोग है, जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, वे सदन की कार्यवाही देखते हैं, उसे अखबारों में पढ़ते हैं कि माननीय सांसद सदन में उनकी समस्याओं के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज 9 तारीख है, 23 तारीख से यह सदन चल रहा है। इस बीच में इस देश की आम जनता की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। सदन लगातार बाधित हो रहा है। महोदय, पाठक कमीशन ऑफ इन्क्वायरी है, इसकी एक मर्यादा है, एक सम्मान है और इस

स्थिति में, जब एक इन्क्वायरी चल रही है, अगर हम कोई समानान्तर इनक्वायरी बैठाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी मर्यादा और सम्मान के प्रति हम न्याय नहीं कर रहे है। इसलिए मेरा विरोधी पक्ष से माननीय जसवन्त सिंह जी से अनुरोध है कि माननीय पाठक की इनक्वायरी को सहयोग करें । जो भी नए तथ्य उनके सामने आएं या दूसरों के सामने आएं, वे उनके समक्ष रखे जाएं और पूरे विश्वास के साथ, उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रखें जाएं कि इस समय जे॰ पी॰ सी॰ की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जस्टिस पाठक की इनक्वायरी को सहयोग करें और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जस्टिस पाठक की इनक्वायरी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता माननीय जसवन्त सिंह जी की जे॰ पी॰ सी॰ की मांग से असहमत नहीं हूं। उन्होंने जो मांग की है, निश्चित रूप से एक अच्छी मांग है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यह मांग पहले की जानी चाहिए थी। यह मांग, अब जबकि जस्टिम पाठक की कमेटी बन गई है और उसने जांच शुरू कर दी है, तो एक ही विषय की दो जांच करने से गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। साथ ही मैं नीलोत्पल बसु जी की बात से भी सहमत हूं कि लोकशाही का यह स्तर हो गया है कि कोई भी अखबार किसी के बारे में कुछ भी लिख दे, अखबार के आधार पर, अखबार के लेखन के प्रति हमारे अंदर इतना दासत्व आ गया है कि हम लोग लीडर नहीं रह गए है। We are not leading, we are being led by what the newspapers are saying. चाहे वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हो, लालू जी के बारे में हो या हमारे किसी और नेता के बारे में हो। पहले प्रायोजित तरीके से समाचारपत्रों में छपवाया जाता है, उसके बाद प्रायोजित तरीके से उसकी पी॰आई॰एल॰ होती है और उसके बाद प्रायोजित तरीके से संसद में मांग होती है। तो लोकशाही के स्तर को देखते हुए यह उचित है कि हम लोग सदन का कीमती समय अनावश्यक रूप से नष्ट न करें। जे॰पी॰सी॰ मी मांग का मैं विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर एक जांच चल रही है, तो इससे गतिरोध हो जाएगा। मैं सत्तापक्ष से यह भी चाहूंगा कि जो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि आज तक उन्हें कार्यालय नहीं मिला है, दफ्तर नहीं मिला है। आप तो सत्ता में हैं, तो कम से कम किसी को उंगली उठाने का यह अवसर आप नहीं दीजिए कि आपने चीफ जस्टिस पाठक को कार्यालय, दफ्तर, बाबू, स्टेनो, टाइपिस्ट-ये सब नहीं दिए हैं। ये सब जल्दी से जल्दी आप उन्हें दिलाएं। जब आप टीम को विदेश भेज सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, तो यह भी कीजिए और ये जो परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं, कि कभी तो यह कहा जा रहा हैं कि जांच का दायरा बढ़ेगा, एक प्रवक्ता कह रही हैं और दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सदन में चर्चा के दौरान एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को हल करना चाहिए, चाहे इस तरफ बैठने वाले लोग हों या उस तरफ बैठने वाले लोग हों,

किसी को भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन न देने की बात है तो मैं चाहूंगा कि इसमें 'वन अप मैनशिप' नहीं होनी चाहिए कि तुमने किसी को दोषी ठहराया है तो हम भी तुम्हारे लोगों को दोषी ठहराते है। इस पूरे प्रकरण में चाहे सत्ता पक्ष को व्यक्ति हो या प्रतिपक्ष का व्यक्ति हो, अगर उसका नाम तेल के प्रकरण में, तेल के खेल में आ रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहकर यह चाहूंगा कि तेजी से इस प्रकिया का पूरा निराकरण होना चाहिए, इस प्रकार कीचड़ उछालने से जो पूरी की पूरी राजनीतिक जमात की बदनामी हो रही है, यह मत समझिए कि सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों की बदनामी हो रहीं है या प्रतिपक्ष की बदनामी हो रही है, रास्ते में चलने वाला हर व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और राजनीतिक नेताओं के प्रति शंकालु होता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जांच की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जल्द से जल्द खत्म किया जाए।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है कि हम लोग वोल्कर रिपोर्ट को एक 'होली बुक' के रूप में ले रहे है। हर रोज उससे शुरूआत होती है और हर रोज उससे राज्य सभा और लोक सभा में अंत होता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी राजनीति का क्या स्तर है, यह इससे जाहिर होता है। मैं अमर सिंह जी के इस बयान से सहमत हूं कि जब एक बार सरकार ने यह फैसला कर लिया, यह निर्णय कर लिया और जस्टिस पाठक का इन्क्वायरी कमीशन बनाकर, इन तमाम तथ्यों की जांच के लिए सरकार तत्पर है और जिस तरह से उसका काम चल रहा है, उसमें जाहिर है कि एक जे०पी०सी० की मांग करके एक गतिरोध पैदा करना, और उनकी निष्ठा पर, व्यक्तिगत रूप से जस्टिस पाठक की निष्ठा पर एक तरह से प्रश्नचिह्न लगाने की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि तहलका जैसे मामले में भी प्रतिपक्ष की उस समय यह मांग थी कि जे०पी०सी० बैठाई जाए, तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनकी जो एन०डी०ए० सरकार थी, उसने उसको निकाल दिया था, तो फिर आज कैसे ये इसकी मांग कर रहे हैं तो यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जे०पी०सी० बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **सुरेश पचौरी**): माननीय उपसभापति महोदय, विपक्ष के सम्मानित नेता जसवन्त सिंह जी ने वोल्कर कमेटी के संदर्भ में कुछ बातों का जिक्र किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो तथ्य सामने आए है, उनकी जांच के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन करना चाहिए, यह उनका कथन है। मान्यवर, जैसे कि इस सदन के सम्मानित वक्ताओं ने कहा है कि इस वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर इस सदन में काफी बहस हुई है। पहले यह बात आई कि किस रूल के तहत बहस की जाए और रूल 168 के तहत नोटिस दिया गया। इसमें वोटिंग का प्रोविजन था। चूंकि तहलका का जिक्र किया गया है, तो मैं आपको

याद दिलाना चाहता हूं कि 2001 में हमने 168 के तहत नोटिस दिया था। उसे तत्कालीन सरकार ने अमान्य कर दिया था, क्योंकि उसमें वोटिंग का प्रोविजन था। जिस रूल के तहत वोटिंग का प्राविजन है, हम उस पर चर्चा करने कं लिए तैयार हो गए। फिर बात आई कि प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें। अपने कार्यक्रमों में व्यस्त होते हुए भी प्रधानमंत्री जी कृपापूर्वक, उसी दिन इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए तैयार हो गए। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि उन्होंने ऐसा करके कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। तीसरी बात यह है, जैसा कि वक्ताओं ने जिक्र किया है कि वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर तीन अलग-अलग पहलू हैं, पहला वीरेन्द्र दयाल जी, जो स्पेशल एनवॉय के रूप में एपोइंट किए गए हैं। उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि रिपोर्ट के संबंध में वे मैटीरियल इकट्ठा करें। उन्होंने इस विषय में तत्परता दिखाई और जैसाकि आप भली-भांति परिचित हैं कि उन्होंने मैटीरियल इकट्ठा कर लिया है। दूसरी बात कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जस्टिस पाठक इंक्वायरी अथॉरिटी का गठन कर दिया गया। जस्टिस पाठक के बारे में मुझे ज्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि वे देश के सुविख्यात फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहे है। वे इंटरनेशनल कोर्ट के सम्मानित जस्टिस रह चुके है। उन्हें लॉ की पूरी जानकारी है वे इस विषय में क्या करेंगे, इस पर मैं सोचता हूं कि सदन के किसी भी सम्मानित सदस्य को सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि उनके प्रति पूरा विश्वास है। लेकिन जब इससे हटकर यह बात आती है कि कोई कमेटी का गठन कर दिया जाए, उससे पहले हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इसकी जांच कर रहा है कि फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से यह तीन अलग-अलग एजेंसीज इसे देख रहीं है। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सदन यह देख सकता है कि क्या इन्क्यूजिशन होना चाहिए? सदन के सम्मानित विपक्ष के नेता का 17 अप्रैल, 2001 को, जो उन्होंने इसी सदन में कहा, मैं आपकी इजाजत से उस वक्तव्य की कापी के कुछ अंश का उल्लेख करना चाहूंगा। जब तहलका पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसकशन के तहत, नाट रूल 168 के तहत जो नोटिस दिया गया था, जब उस पर बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि "I only wish to share with this hon. House that this House is, in fact, not a body of inquisition. We have methods of inquiring into situations." मान्यवर, वे उसके आगे फिर कहते है। "The three Commissions of Inquiry are already in action." तहलका के रिलेशन में उन्होंने कहा "They are in force The Government's position is clear. After inquiry, if anybody is found guilty of any misdemeanour, he or they shall, certainly, not be spared." हम भी यही कह रहे हैं। आपकी बात से हम सहमत हो रहे हैं कि इंक्वायरी के बात जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून की परिधि में जो भी कार्रवाई हो सकती है, वह की जाएगी। लेकिन इससे आगे कुछ और भी कहा गया है।

जब माननीय चिदम्बरम् जी ने इस सदन में उत्तर दिया था तो उन्होंने यह कहा था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के सैक्शन 11 के तहत इसका गठन किया गया है। सैक्शन 11 के तहत् इसका गठन इसलिए किया गया है कि यह मांग जस्टिस पाठक ने स्वयं की कि किस सैक्शन के तहत किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया यदि वे इसके अतिरिक्त और भी कुछ पावर चाहेंगे तो वह भी देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाठक इंक्वायरी अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है, वह सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वह सदन से किसी भी प्रकार से अर्थहीन होगी, वह सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। सदन के पटल पर रखी जाएगी। सदन के पटल पर मात्र रिपोर्ट ही नहीं रखी जाएगी, बल्कि वह ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ रखी जाएगी। उसके बाद, जैसा मैंने निवेदन किया कि नियमानुसार कार्रवाई संभव है, वह हम कर सकेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है, जैसाकि हमारी अन्य राजनीतिक पार्टियों के सम्मानित सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है मैं उनके प्रति आभारी हूं कि उन्होंने इसकी गंभीरता को समझता है, जस्टिस पाठक की विश्वसनीयता पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया है। मैं ऐसी प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय सदन ने विपक्ष के नेता अपनी 17 अप्रैल, 2001 की बात को याद रखते हुए इसे स्वीकार करेंगे कि आज की परिस्थिति के माहौल में जस्टिस पाठक इंक्वायरी अथॉरिटी पर पूरा विश्वास किया जाए। यदि आपके पास कुछ और तथ्य हैं, तो वे उनके सुपुर्द किए जा सकते हैं। वे विस्तार से उसकी जांच कर सकते हैं। एन्फोर्समेंट डायरेक्टर को इसकी सूचना दी जा सकता है। इन सारी बातों के लिए सरकार का खुला मन है। सरकार इसकी तह में जाना चाहती है। पहले यह मांग हुई कि इसकी जांच CBI द्वारा की जाए, फिर यह मांग हुई कि श्री नटवर सिंह का इस्तीफा लिया जाए, उन्हें Minister without portfolio क्यों बनाया गया है? कई प्रकार की बातें इस संबंध में चलीं, मैं उनकी तह में नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपनी बात की इतिश्री इस प्रार्थना के साथ करना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता अपनी सुविधा और समय के हिसाब से अपना मंतव्य न बदलें। उनके लिए भी यही सुविधाजनक है कि वे जस्टिस पाठक की Enquiry Authority पर विश्वास करते हुए, उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करने का वचन अपनी पार्टी की तरफ से दें। हम यह स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी उमा जी के trauma में फंसी हुई है। उमा जी के trauma में फंसी हुई पार्टी, समय के हिसाब से अपना वक्तव्य और मंतव्य बदले, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसलिए सरकार यह मानती है कि यह जो JPC की मांग है, वह अनुचित है।

मान्यवर, जहां तक Justice Pathak Enquiry Authority को सुविधाएं दिलाने का सवाल है, जिसका जिक्र हमारे माननीय सदस्य अमर सिंह जी और अन्य सदस्यों ने किया है, मैं सरकार की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि Justice Pathak Enquiry Authority को समुचित और पर्याप्त सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपनी बात रख दी है और सरकार का मंतव्य भी उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने दृढ़ता से दो बातें कही हैं कि जस्टिस पाठक की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और ATR के साथ रखी जाएगी। मैं चाहूंगी कि वे इसमें एक बात और जोड़ दे कि ATR स्वीकार भी की जाएगी, फुक्कन कमीशन की तरह ATR खारिज नहीं कर दी जाएगी।

Discouraging School Children from going on tour to Coastal areas

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़): उपसभापति जी, मैं एक बहुत ही दु:खद घटना की तरफ आपका, आपके जरिए सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आजकल रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि बच्चों को स्कूलों की तरफ से टूर पर ले जाया जाता है और अक्सर बच्चों की इसमें जानें चली जाती हैं। ऐसी ही एक घटना अभी हाल ही में हुई है। स्कॉलर होम स्कूल, देहरादून में है, जिसके 77 बच्चों के टूर को गोवा ले जाया गया। ये 77 बच्चे बोर्डिंग हाऊस में रहने वाले थे और इनमें Class One से लेकर Class Nine तक के बच्चे थे। यह कंपलसरी टूर बना दिया गया है। दीवाली के समय पर, ईद के समय पर, एक बदकिस्मत बच्चा वहां डूबकर मर गया, उसका नाम था निशान चौहान। उसके वालिदान ने स्कूल अथॉरिटी से यह प्रार्थना की थी कि आप हमारे बच्चे को मत ले जाइए, वह स्विमिंग नहीं जानता है और दीवाली की छुट्टियां हैं। बहरहाल इन 77 बच्चों के साथ केवल 3 स्टॉफ मेंबर्स उस टूर पर गए थे। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इन 77 बच्चों को उस Beach पर ले जाया गया, जहां पर मोटे-मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि यह prohibited beach है और यहां तैरना, नहाना बहुत ही dangerous है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं कि वहां Caution में क्या लिखा हुआ था। वहां पर यह साफ लिखा हुआ था कि—

"Please note: Beach is totally unsupervised. Bathing and swimming in the sea is dangerous as there are strong under-water currents. You are requested to kindly read the caution board erected at the main entrance of the beach."

इसके बावजूद ये बच्चे वहां ले जाए गए। वह सबसे खतरनाक Beach था, जहां इन बच्चों को ले जाया गया और उनके साथ केवल 3 स्टॉफ मैबर्स थे। इसमें दो बच्चे नवीं क्लास के थे-एक निशान चौहान, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, वह श्री संजय चौहान का बेटा था, दूसरा था निखिल सिंह, जो नौएडा का रहने वाला था, वह श्री राजपाल सिंह का बच्चा था। इनमें से निखिल सिंह की लाश तो मिली नहीं, केवल निशान चौहान की लाश मिली और वह भी आप देखिए कि School authorities के रहते यह हुआ। यह criminal negligence का मामला है। मैं